रोजगार विभाग राजस्थान

नागरिक चार्टर

नागरिक चार्टर

1. हमारा उद्देश्य

(v) समाज के लिए स्थापित विधान के विपरीत कार्य करने वाले व्यक्तियों को न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में सुरक्षित रूप से अभिरक्षा में बंद रखना।

(vi) दोषसिद्ध बंदियों को सजा भुगताने के साथ–साथ उन्हें विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित करना।

(vii) बंदियों में पनपे विकारों को दूर कर उनकी मानसिक सोच में परिवर्तन करना।

(viii) बंदियों को विभिन्न प्रवृतियों में शिक्षित, प्रशिक्षित करके जागरूक करना एवं उन्हें सुधार कर एक उपयोगी नागरिक के रूप में समाज में पुनस्थापन के लिये तैयार करना।

2. विभागीय संगठन एवं प्रशासन

समाज में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिये स्थापित विभागों में से कारागार विभाग एक महत्वपूर्ण इकाई है। वर्तमान में कारागार विभाग के अन्तर्गत 3 क्षेत्रीय कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार, रेन्ज एवं 97 जेलों व 28 बंदी खुले शिविर तथा एक कारागार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। राज्य की सभी जेलों में (बंदी खुले शिविरों सहित) 19625 बंदियों को रखे जाने की क्षमता निर्धारित है तथा इनमें दंडित बंदियों की सजा अवधि के अनुरूप रखे जाने के आधार पर इन जेलों को केन्द्रीय, जिला, उप कारागृह एवं बंदी खुले शिविरों के रूप में वर्गीकृत किया हुआ है। क्षेत्रीय आधार पर पूरे विभाग को 7 मंडलों में विभक्त किया हुआ है।

i	केन्द्रीय कारागृह–9	इनमें आजीवन कारावास से दंडित बंदियों सहित सभी तरह के दंडित बंदियों एवं स्थानीय विचाराधीन बंदियों को रखा जाता है।
ii	जिला कारागृह 'ए' श्रेणी–2	इनमें 10 वर्ष तक की सजा से दंडित एवं स्थानीय विचाराधीन बंदियों को रखा जाता है।
iii	जिला कारागृह 'बी' श्रेणी–22	इनमें 3 वर्ष तक की सजा से दंडित बंदियों एवं स्थानीय विचाराधीन बंदियों को रखा जाता है।
iv	उच्च सुरक्षा कारागार–1 (अजमेर)	हार्डकोर अपराधियों को रखा जाता है।
v	उप कारागृह–60	इनमें 3 माह तक की सजा से दंडित बंदियों एवं स्थानीय विचाराधीन बंदियों को रखा जाता है।
vi	महिला बंदी सुधारगृह–2 (जयपुर/जोधपुर)	इसमें राज्य की सभी 3 माह से अधिक सजा से दंडित महिला बंदियों एवं स्थानीय विचाराधीन बंदियों को रखा जाता है।
vii	किशोर बंदी सुधारगृह–1 (जैतारण)	इसमें 18 से 21 वर्ष की आयु के दंडित किशोर बंदियों को रखा जाता है।
viii	बंदी खुले शिविर–23	इनमें 5 वर्ष अधिक सजा से दंडित बंदियों जिन्होंने अपनी सजा का एक तिहाई भाग सदाचरण से भुगत लिया हो एवं पात्रता श्रेणी में आते हों, को रखे जाने का प्रावधान है। वर्तमान में इन शिविरों में 634 बंदियों को रखे जाने की व्यवस्था है।